राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 07/2017

रामोतार यादव पुत्र श्री रघुनाथ यादव जाति अहीर निवासी ढाणी कुम्भावाली तन् नांगल चौधरी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0

.....प्रार्थी

बनाम

1. चुन्नीलाल चनेजा पुत्र श्री हनुमानराम जाति गुर्जर निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक 26–02–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम खेतड़ी तहसील खेतड़ी स्थित आराजी खाता सं. 60 जमाबंदी संवत् 2069–72 हाल खसरा नंबर 2161 रकबा 0.12 है., ख.नं. 2162 रकबा 0.11 है., ख.नं. 2163 रकबा 0.07 है., ख.नं. 2164 रकबा 0.03 है., ख.नं. 2314 रकबा 0.01 है., ख.नं. 2316 रकबा 0.01 है. किता 6 कुल रकबा 0.35 है. का खाता सामलाती है। उक्त खाते में प्रार्थी का 1/2 भाग व अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 भाग है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। खाता सामलाती रहने से प्रार्थी को लगान अदा करने व कृषि सुधार आदि करने में भारी परेशानी होती है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भूमि बेचान से प्रार्थी की हकतलफी होगी व ऐसी हानि परेशानी होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकेगा। अतः अप्रार्थी सं. 1 को पाबंद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सं. 1 भूमि का बेचान करेगा जिसका विलेश अप्रार्थी सं. 2 द्वारा किया जावेगा। अतः अप्रार्थी सं. 2 को भी पाबंद किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि –

(क) अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वह वाद वर्णित भूमि वाके खेतड़ी खसरा नंबरान 2162, 2163, 2164, 2314, 2316 किता 6 कुल रकबा 0.35 है. भूमि या उसके किसी भी भाग को जब तक कि विधिवत् रूप से खाता विभाजित ना हो, अन्य किसी को दान, बेचान, रहन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख/नोटेरी के ना करें।

(ख) अप्रार्थी सं. 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे कि वे वाद वर्णित उक्त भूमि के हसतांतरण के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विलेख दौराने वाद तस्दीक ना करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद इनकी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः जवाब अवसर अप्रार्थी सं. 1 बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 2 सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 60 ग्राम खेतड़ी का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता ने दोनों पक्षों को अंतिम डिक्री तक पाबंद किये जाने की सहमति प्रकट की है।

उपखण्ड अधिकारी (खेतड़ी (झुन्झुनू))

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

अतः इस न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबरान 2161, 2162, 2163, 2164, 2314, 2316 किता 6 कुल रकबा 0.35 है. के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्ण आज दिनांक 26–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Scanned with CamScanner